कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)
दूरभाषः 0771 — 2552233 ई — मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू—प्रबंध/विविध—ए/ BSNL/115-859/ 1841 नवा रायपुर, दिनांक 14/07/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :— **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Diversion land of OFC Bharat Sanchar Nigam Limited - South Kondagoan Division, Provide high Speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central Govt. scheme under digital India program in chhattisgarh Area - 2.181 ha. regarding.**

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OFC/44214/2020

संदर्भः— 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ — 5—23/10—2 दिनांक 05.12.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/त.अ./2025/2035 दिनांक 25.06.2025

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र — 1 द्वारा आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, दूरसंचार परियोजना रायपुर छ.ग. द्वारा राईट—ऑफ—वे के अंतर्गत दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के कोण्डागांव/अमरावती/मुलमुला/दहींकोंगा/माकड़ी परिक्षेत्र के ग्राम घोडागांव से कोण्डागांव एवं कोण्डागांव से माकड़ी तथा माकड़ी से छतोड़ी तक ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन/संरक्षित वन/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि में से रकबा 2.181 हे. वनभूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त से संदर्भित पत्र—2 के माध्यम से समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः—

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है । **(संलग्नक—01)**
2	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है । (संलग्नक—02)
3	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है । **(संलग्नक—03)**
4	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.45 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है **(संलग्नक—04)**

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Direction Drilling Method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा, फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	
5	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहीं वन भूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सकें।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–05)**
6	उपरोक्त लाईन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।**(संलग्नक–06)**
7	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/ रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।**(संलग्नक–07)**
8	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को हाने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है **(संलग्नक–08)**
9	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–09)**
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त पालन किया जायेगा। **(संलग्नक–12)**

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा, तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–14)**

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 5–23/2023/10–2 दिनांक 20.03.2024 द्वारा जारी क्षपिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संबंधी अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
15	As per Consolidated Guidelines and Charification 2023 issued by MoEF&CC's otder dt. 29.12.2023 compensatory afforastation over degraded forest land double in extent to the forest land being shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है । **(संलग्नक–15)**
16	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on CA land shall be deposited through online e-portal into the CAMPA account in advance with the Forest Department by the project authority.	आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 51,02,144/– रू. कैम्पा खाता में दिनांक 30.05.2025 को जमा कर दिया गया है। जमा राशि की सत्यापित पावति की मूल प्रति संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रचलित नवीन दर अनुसार अंतर की शेष राशि 5,10,214/– रू. कैम्पा खाता में जमा कर दी गई है। रसीद की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
17	The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए आवेदक संस्थान द्वारा प्रेषित परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है । **(संलग्नक–17)**

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। अतः कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– संलग्नक 1 से 17 तक

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/ BSNL/115-859/ 1842 नवा रायपुर, दिनांक 14/07/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

— लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन के चेप्टर–4 पैरा 12 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख महोदय के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिए कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।** कार्य अनुमति का अर्थ "permission granted to linear projects before 'Final' approval to mobilise the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretization, laying of railway tracks, charging of transmission lines, or any work of permanent nature which entails completion of the project." किये जाने वाले कार्य निर्धारित जाबदर तथा नार्म्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेख वनमंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे। **यह अनुमति जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।**

— प्रकरण में किसी भी वृक्ष का विदोहन नहीं किया जायेगा।

2. **वन मंडलाधिकारी**, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।

3. **Sub Divisional Engineer**, BSNL C-18 BSNL Colony Khamardih Raipur Civil Line Raipur Chhattisgarh.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़